

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 401 सन 2022

अनवान :-

1. चन्द्रावली पुत्री ईशरराम जाति भेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

धारा 88 193

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/07/2022


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 193 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादीया के पूर्वज ईश्वर बल्द गोविन्द जाति चमार जो गरीब व्यक्ति थे तथा गांव में सेवा चाकरी करके अपने परिवार का पालना पोषणा करते थे इनकी सेवा चाकरी के बदले रोही मौजा चक 9 जीजीएम के साबिका खसरा संख्या 149 की 45.00 बीघा भूमि बिल एवज कोटवाल के माफी में दी/मिली थी जिसे वे काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे।

वादीया के पूर्वज ईश्वर बल्द गोविन्द का देहान्त हो चुका है जिसकी एक मात्र वारिस उनकी पुत्री वादीया है जो अपने पूर्वजो के देहान्त होने पर वाद भूमि काश्त करती आ रही है।

वादीया के पूर्वजो ईश्वर बल्द गोविन्द जाति चमार को रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खसरा संख्या 149 की 45 बीघा भूमि माफी कोटवाल के तौर पर दी गई थी जो भाखडा परियोजना में आने पर रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प०न० 387/467(13) के किला न० 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025हैक् गैरमु० प०न० 387/468 (26) किला न० 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038हैक् गैरमु० रास्ता, 5/1 की 0.1900, 5/2 की 0.038हैक् गैरमु० रास्ता 5/3 की 0.025हैक् गैर मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.2280हैक्, 6/2 की 0.025हैक् गैरमु० खाला, 7 की 0.253, 14/0.2530, 15/1 की 0.2280, 15/2 की 0.025हैक् गैरमु० खाला, 16/1 की 0.2280, 16/2 की 0.025हैक् गैरमु० खाला, 17/0.2530, 18/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025हैक् गैरमु० खाला, प०न० 388/467(14) के किला न० 25/0.2530, प०न० 388/468(25) के किला न० 1/1 की 0.2150, 1/2 की 0.038हैक् गैरमु० रास्ता, 2/1 की 0.2150हैक्, 2/2 की 0.038हैक् गैरमु० रास्ता, किला न० 3/1 की 0.2150, 3/2 की 0.038हैक् गैरमु० रास्ता, किला न० 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038हैक् गैर मु० रास्ता किला न० 5/1 की 0.1900हैक्, 5/2 की 0.063हैक् गैरमु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.2280हैक् 6/2 की 0.025हैक् गैरमु० रास्ता किला न० 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक् किला न० 15/1 की 0.2280हैक् 15/2 की 0.025हैक् गैरमु० रास्ता किला न० 16/1 की 0.2280हैक्, 16/2 की 0.025हैक् किला न० 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530हैक् किला न० 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025हैक् गैरमु० रास्ता प०न० 389/468(24) किला न० 1/1 की 0.2150, 1/2 की 0.038हैक् गैरमु० रास्ता, 10 ता 21 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल 11.3850हैक् भूमि में पैमुद की गई है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के पूर्वज ईश्वर पुत्र गोविन्द जाति चमार के माफी कोटवाली में मिलने के बाद कब्जा काश्त में रही एवं रकम राज अदा करते आ रहे है एव वादीया के पूर्वजों के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादीया के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है एव वर्तमान में भी वादीया के कब्जा काश्त में है।

वादीया के पूर्वज ईश्वर बल्द गोविन्द जाति चमार को वाद भूमि माफी कोटवाली में मिली थी जो लगातार पूर्व में वादीया के पूर्वज एवं वर्तमान में वादीया के कब्जा काश्त में रहने एवं समस्त शर्तों की पालना करने के कारण वादीया /वादीया के पूर्वज माफी में मिलने के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

10 वर्ष के बाद नियमानुसार खातेदार काश्तकार हो जाने चाहिये थे किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है।

वादीया / वादीया के पूर्वजो के दस वर्ष से अधिक समय माफी कोटवाली में मिलने के कारण खातेदार काश्तकार हो गये थे पैमाईश के दौरान साबिका खसरा से हाल 40न0 किला न0 में भूमि सही तौर से दर्ज कर गैरखातेदार दर्ज कर दिया जबकि वादीया खातेदार काश्तकार हो चुकी है इसलिये वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है जमाबन्दी दुरुस्त करवा कर वादीया को खातेदार दर्ज किया जावे।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई मर्तबा कहा की भूमि वादीया को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे किन्तु इनकार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिग्री किया जाकर रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850 हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कि जावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी स0 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की

रोही मौजा डीलकी जाटान के खसरा संख्या 149 की 45.00 बीघा भूमि ईशर वल्द गोविन्द का माफी कोटवाली में दिनांक 27.08.1925 को दी गई थी तथा ईशर वल्द गोविन्द को माफी कोटवाली में दी गई भूमि वर्तमान में रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850 हैक् भूमि में पैमुद की गई है ईशर वल्द गोविन्द का देहान्त हो गया है जिसकी एक मात्र वारिस वादीया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किसी भी प्रकार का विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है वाद भूमि विशेष आवंटन की श्रेणी में नहीं सभी भार से मुक्त है वर्तमान में वाद भूमि भाखडा परियोजना क्षेत्र में आती है।

वाद भूमि ईशर वल्द गोविन्द को माफी कोटवाली में आवंटित की गई थी पूर्व में ईशर वल्द गोविन्द के कब्जा काश्त में थी ईशर वल्द गोविन्द के देहान्त होने के बाद उसकी वारिस वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर माफी गैरखातेदार के तौर पर दर्ज है वादीया अपने पूर्वजो को माफी में आवंटित भूमि के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 190-193 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। परोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया।

वादीया के वाद के सम्बन्ध में परोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज जाहिर नहीं करने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है साक्ष्य वादीया में वादीया ने जमाबन्दी / गिदावरीया व कब्जा काश्त के साक्ष्यों के साथ अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नहीं करने के कारण उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया के पूर्वज ईशर वल्द गोविन्द जाति चमार जो गरीब व्यक्ति थे तथा गांव में सेवा चाकरी करके अपने परिवार का पालना पोषणा करते थे इनकी सेवा चाकरी के बदले रोही मौजा चक 9 जीजीएम के साबिका खसरा संख्या 149 की 45.00 बीघा भूमि बिल एवज कोटवाल के माफी में दी/मिली थी जिसे वे काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे।

वादीया के पूर्वज ईशर वल्द गोविन्द का देहान्त हो चुका है जिसकी एक मात्र वारिस उनकी पुत्री वादीया है जो अपने पूर्वजो के देहान्त होने पर वाद भूमि काश्त करती आ रही है।

वादीया के पूर्वजो ईशर वल्द गोविन्द जाति चमार को रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खसरा संख्या 149 की 45 बीघा भूमि माफी कोटवाल के तौर पर दी गई थी जो भाखडा परियोजना में आने पर रोही मौजा चक 9 जीजीएम के 40न0 387/467(13) के किला न0 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 40न0 387/468 (26) किला न0 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 सास्ता, 5/1 की 0.1900, 5/2 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

038हैव गैमु0 रास्ता 5/3 की 0.025हैव गैर मु0 खाला , किला न0 6/1 की 0.2280हैव , 6/2 की 0.025हैव गैमु0खाला , 7 की 0.253 ,14/0.2530 , 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.025हैव गैमु0खाला ,16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.025हैव गैमु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 , 23/0.2530 , 24/0.2530 ,25/1 की 0.2280 ,25/2 की 0.025हैव गैमु0खाला , प0न0 388/467(14) के किला न0 25/0.2530 , प0न0 388/468(25) के किला न0 1/1 की 0.2150 ,1/2 की 0.038हैव गैमु0रास्ता , 2/1 की 0.2150हैव , 2/2 की 0.038हैव गैमु0रास्ता , किला न0 3/1 की 0.2150 ,3/2 की 0.038हैव गैमु0रास्ता , किला न0 4/1 की 0.2150 ,4/2 की 0.038हैव गैर मु0 रास्ता किला न0 5/1 की 0.1900हैव , 5/2 की 0.063हैव गैमु0रास्ता , किला न0 6/1 की 0.2280हैव 6/2 की 0.025हैव गैमु0 रास्ता किला न0 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैव किला न0 15/1 की 0.2280हैव 15/2 की 0.025हैव गैमु0रास्ता किला न0 16/1 की 0.2280हैव , 16/2 की 0.025हैव किला न0 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530हैव किला न0 25/1 की 0.2280 ,25/2 की 0.025हैव गैमु0रास्ता प0न0 389/468(24) किला न0 1/1 की 0.2150 ,1/2 की 0.038हैव गैमु0 रास्ता ,10 ता 21 प्रत्येक 0.2530हैव कुल 11.3850हैव भूमि में पैमुद की गई है ।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के पूर्वज ईश्वर पुत्र गोविन्द जाति चमार के माफी कोटवाली में मिलने के बाद कब्जा काशत में रही एव रकम राज अदा करते आ रहे है एव वादीया के पूर्वजों के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादीया के कब्जा काशत में लगातार चली आ रही है एव वर्तमान में भी वादीया के कब्जा काशत में है ।

वादीया के पूर्वज ईश्वर वल्द गोविन्द जाति चमार को वाद भूमि माफी कोटवाली में मिली थी जो लगातार पूर्व में वादीया के पूर्वज एवं वर्तमान में वादीया के कब्जा काशत में रहने एवं समस्त शर्तों की पालना करने के कारण वादीया /वादीया के पूर्वज माफी में मिलने के 10 वर्ष के बाद नियमानुसार खातेदार काशतकार हो गये थे किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के नाम बतौर गैरखातेदार काशतकार दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है ।

वादीया /वादीया के पूर्वजों के दस वर्ष से अधिक समय माफी कोटवाली में मिलने के कारण खातेदार काशतकार हो गये थे पैमाईश के दौरान साबिका खसरा से हाल प0न0 किला न0 में भूमि सही तौर से दर्ज कर गैरखातेदार दर्ज कर दिया जबकि वादीया खातेदार काशतकार हो चुकी है इसलिये वादीया को बतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है जमाबन्दी दुरुस्त करवा कर वादीया को खातेदार दर्ज किया जावे । अपने कथनों की ताईद में न्यायायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 2005 पेज 643 व आर0आर0डी 1997 पेज 316 प्रस्तुत किये ।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढीलकी जाटान के खसरा संख्या 149 की 45.00 बीघा भूमि ईशर वल्द गोविन्द का माफी कोटवाली में दिनांक 27.08.1925 को दी गई थी तथा ईशर वल्द गोविन्द को माफी कोटवाली में दी गई भूमि वर्तमान में रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850हैव भूमि में पैमुद की गई है ईशर वल्द गोविन्द का देहान्त हो गया है जिसकी एक मात्र वारिस वादीया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किसी भी प्रकार का विवाद एव स्थगन आदेश नहीं है वाद भूमि विशेष आवंटन की श्रेणी में नहीं सभी भार से मुक्त है वर्तमान में वाद भूमि भाखडा परियोजना क्षेत्र में आती है ।

वाद भूमि ईशर वल्द गोविन्द को माफी कोटवाली में आवंटित की गई थी पूर्व में ईशर वल्द गोविन्द के कब्जा काशत में थी ईशर वल्द गोविन्द के देहान्त होने के बाद उसकी वारिस वादीया के कब्जा काशत में चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर माफी गैरखातेदार के तौर पर दर्ज है वादीया अपने पूर्वजों को माफी में आवंटित भूमि के राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ,190-193 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है ।


उपनिरीक्षक अधिकारी
झोहर

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850हैक् भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दी के साबित है।

रोही मौजा ढिलकी जाटान के साबिका खसरा 149 की 45.00 बीघा भूमि ईशर वल्द गोविन्द जाति चमार को माफी कोटवाली में दी गई थी जो प्रस्तुत नकल माफी कोटवाल रजिस्टर से पूर्णतया साबित है।

ईशर वल्द गोविन्द जाति चमार को रोही मौजा ढिलकी जाटान के साबिका खसरा संख्या 149 की 45.00 बीघा भूमि माफी में आवंटित की गई थी जो भाखडा परियोजना आने पर रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प0न0 387/467(13) के किला न0 24/0.2530 ,25/1 की 0.2280 , 25/2 की 0.025हैक् गैरमु0 प0न0 387/468 (26) किला न0 4/1 की 0.2150 ,4/2 की 0.038हैक् गै0मु0रास्ता , 5/1 की 0.1900 ,5/2 की 0.038हैक् गै0मु0 रास्ता 5/3 की 0.025हैक् गैर मु0 खाला , किला न0 6/1 की 0.2280हैक् , 6/2 की 0.025हैक् गै0मु0खाला , 7 की 0.253 ,14/0.2530 , 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.025हैक् गै0मु0खाला ,16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.025हैक् गै0मु0खाला , 17/0.2530 ,18/0.2530 , 23/0.2530 , 24/0.2530 ,25/1 की 0.2280 ,25/2 की 0.025हैक् गै0मु0खाला , प0न0 388/467(14) के किला न0 25/0.2530 , प0न0 388/468(25) के किला न0 1/1 की 0.2150 ,1/2 की 0.038हैक् गै0मु0रास्ता , 2/1 की 0.2150हैक् , 2/2 की 0.038हैक् गै0मु0रास्ता , किला न0 3/1 की 0.2150 ,3/2 की 0.038हैक् गै0मु0रास्ता , किला न0 4/1 की 0.2150 ,4/2 की 0.038हैक् गैर मु0 रास्ता किला न0 5/1 की 0.1900हैक् , 5/2 की 0.063हैक् गै0मु0रास्ता , किला न0 6/1 की 0.2280हैक् 6/2 की 0.025हैक् गै0मु0 रास्ता किला न0 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक् किला न0 15/1 की 0.2280हैक् 15/2 की 0.025हैक् गै0मु0रास्ता किला न0 16/1 की 0.2280हैक् , 16/2 की 0.025हैक् किला न0 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530हैक् किला न0 25/1 की 0.2280 ,25/2 की 0.025हैक् गै0मु0रास्ता प0न0 389/468(24) किला न0 1/1 की 0.2150 ,1/2 की 0.038हैक् गै0मु0 रास्ता ,10 ता 21 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल 11.3850हैक् भूमि में पैमुद की गई है जो प्रस्तुत पर्चा खतौनी से पूर्णतया साबित है।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /जमाबन्दी गिरदावरीया के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीया के पूर्वज ईशर वल्द गोविन्द को माफी कोटवाली में दी गई थी जो माफी रजिस्टर से पूर्णतया साबित है वादीया के पूर्वज को आवंटित भूमि भाखडा परियोजना आने पर चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850हैक् भूमि में पैमुद की गई थी जो पर्चा खतौनी से पूर्णतया साबित है तथा वादीया के पूर्वज इशर वल्द गोविन्द के देहान्त होने पर उसकी वारिस वादीया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज एव प्रस्तुत गिरदावरीयो के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीया के पूर्वज ईशर वल्द गोविन्द के कब्जा काश्त में थी तथा वाद ईशर वल्द गोविन्द वाद भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दी /गिरदावरीयो से साबित है।

पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया गया है वाद भूमि वादीया के पूर्वज ईशर वल्द गोविन्द को माफी कोटवाली में दी गई थी जो वर्तमान में भाखडा परियोजना पैमाईश में खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850हैक् में पैमुद की गई है ईशर वल्द गोविन्द का देहान्त हो चुका है जिसकी वारिसा वादीया है वाद भूमि पूर्व में ईशर वल्द गोविन्द के कब्जा काश्त में थी ईशर के देहान्त होने पर उसकी वारिस वादीया के वाद भूमि कब्जा काश्त में है

पेरोकार राज ने यह भी अंकित किया गया है कि वाद भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है ना ही भूमि विशेष आवंटन की है वाद भूमि पर किसी भी प्रकार का भार नहीं है वाद भूमि भार मुक्त है वादीया के पास अन्य भूमि नहीं होने के कारण सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है ना ही धारा 16 ,42 का उल्लंघन है।

पेरोकार राज ने कोटवाली की एवज में माफी में वादीया के पूर्वज ईशर वल्द गोविन्द को दी गई भूमि जो वर्तमान वादीया के नाम दर्ज है के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,193 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने की अभिशप्ता भी की गई है।


उपसंहार अधिकारी
मोहर

प्रस्तुत दस्तावेजात / साक्ष्यों / पेरोंकार राज की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि ईशर वल्द गोविन्द जाति चमार को माफी कोटवाल में दी गई थी जो ईशर वल्द गोविन्द के कब्जा काश्त में रही ईशर वल्द गोविन्द के देहान्त होने के बाद उसकी वारिस वादीया के वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है वादीया वाद भूमि के खातेदारी अधिकार चाहती है एव पेरोंकार राज ने भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने की अभिशषा की गई है।

माफी कोटवाली की एवज में दी गई भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिये राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 193 में/अन्तर्गत स्पष्ट प्रावाधान किया गया है कि माफी में दी गई भूमि के खातेदार अधिकार दिये जा सकते हैं।

वादों के द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्त के अनुसार इसी न्यायालय के द्वारा माफी की भूमि को किमतन खातेदारी अधिकार दिये गये थे जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने निररत की जाकर माफी की भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये गये थे। अर्थात् प्रस्तुत प्रकरण में उक्त न्यायाधिक दृष्टान्त पूर्णरूप से लागू होते हैं।

इसप्रकार वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों / पेरोंकार राज की रिपोर्ट अभिशषा/न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार वादीया वाद भूमि जो उसके पूर्वजों को माफी कोटवाली में दी गई भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः वादीया का वाद प्रस्तुत दस्तावेजात/साक्ष्य सबूतों/पेरोंकार राज की अभिशषा/न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प०न० 387/467(13) के किला न० 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025हैक् गैरमु० प०न० 387/468 (26) किला न० 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038हैक् गै०मु० रास्ता, 5/1 की 0.1900, 5/2 की 0.038हैक् गै०मु० रास्ता, 5/3 की 0.025हैक् गैर मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.2280हैक्, 6/2 की 0.025हैक् गै०मु० खाला, 7 की 0.253, 14/0.2530, 15/1 की 0.2280, 15/2 की 0.025हैक् गै०मु० खाला, 16/1 की 0.2280, 16/2 की 0.025हैक् गै०मु० खाला, 17/0.2530, 18/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025हैक् गै०मु० खाला, प०न० 388/467(14) के किला न० 25/0.2530, प०न० 388/468(25) के किला न० 1/1 की 0.2150, 1/2 की 0.038हैक् गै०मु० रास्ता, 2/1 की 0.2150हैक्, 2/2 की 0.038हैक् गै०मु० रास्ता, किला न० 3/1 की 0.2150, 3/2 की 0.038हैक् गै०मु० रास्ता, किला न० 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038हैक् गैर मु० रास्ता किला न० 5/1 की 0.1900हैक्, 5/2 की 0.063हैक् गै०मु० रास्ता, किला न० 6/1 की 0.2280हैक्, 6/2 की 0.025हैक् गै०मु० रास्ता किला न० 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक् किला न० 15/1 की 0.2280हैक्, 15/2 की 0.025हैक् गै०मु० रास्ता किला न० 16/1 की 0.2280हैक्, 16/2 की 0.025हैक् किला न० 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530हैक् किला न० 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025हैक् गै०मु० रास्ता प०न० 389/468(24) किला न० 1/1 की 0.2150, 1/2 की 0.038हैक् गै०मु० रास्ता, 10 ता 21 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल 11.3850हैक् भूमि अर्थात् रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850हैक् भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे पचा डिक्री जारी की जाकर शामिल निसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. चन्द्रावली पुत्री ईशरराम जाति मेधवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 401 सन 2022 निर्णय दिनांक- 22/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प0न0 387/467(13) के किला न0 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 प0न0 387/468 (26) किला न0 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 रास्ता, 5/1 की 0.1900, 5/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 रास्ता 5/3 की 0.025 हैक् गैर मु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.2280 हैक्, 6/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 खाला, 7 की 0.253, 14/0.2530, 15/1 की 0.2280, 15/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 खाला, 16/1 की 0.2280, 16/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 खाला, 17/0.2530, 18/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530, 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 खाला, प0न0 388/467(14) के किला न0 25/0.2530, प0न0 388/468(25) के किला न0 1/1 की 0.2150, 1/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 रास्ता, 2/1 की 0.2150 हैक्, 2/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 रास्ता, किला न0 3/1 की 0.2150, 3/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 रास्ता, किला न0 4/1 की 0.2150, 4/2 की 0.038 हैक् गैर मु0 रास्ता किला न0 5/1 की 0.1900 हैक्, 5/2 की 0.063 हैक् गैरमु0 रास्ता, किला न0 6/1 की 0.2280 हैक् 6/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 रास्ता किला न0 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530 हैक् किला न0 15/1 की 0.2280 हैक् 15/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 रास्ता किला न0 16/1 की 0.2280 हैक्, 16/2 की 0.025 हैक् किला न0 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 हैक् किला न0 25/1 की 0.2280, 25/2 की 0.025 हैक् गैरमु0 रास्ता प0न0 389/468(24) किला न0 1/1 की 0.2150, 1/2 की 0.038 हैक् गैरमु0 रास्ता, 10 ता 21 प्रत्येक 0.2530 हैक् कुल 11.3850 हैक् भूमि अर्थात् रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 101/97 की कुल 11.3850 हैक् भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)